

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर**  
पीठासीन अधिकारी :- श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- ११८/१८ (२२३ आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- २०१८/००२२३

उनवान

वृन्दावन सिंह पुत्र दरवा जाति जाट निवासी नगला हरचन्द तहसील व जिला भरतपुर(मृतक)

१/१. मुक्ति देवी उम्र ७४ वर्ष पत्नी वृन्दावन सिंह

१/२. मछला उम्र ४८ वर्ष पुत्री वृन्दावन सिंह

१/३. दीनदयाल उम्र ४० वर्ष

१/४. दिनेश उम्र ३८ वर्ष

१/५. तिलकचन्द

पुत्रान वृन्दावन सिंह जाति जाट नि० नगला  
हरचन्द तह० व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

१. रोहन सिंह पुत्र दरवा

२. मनीराम पुत्र खुशीराम

३. लक्ष्मन पुत्र खुशीराम

४. जगदीश पुत्र खुशीराम

५. बृजदेवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह पुत्री दरवा उर्फ दरव सिंह जाति जाट निवासी जारूआ  
कटरा तहसील व जिला आगरा(उ०प्र०)

६. ग्राम पंचायत मौरौली कलौ जरिये सरपंच।

जाति जाट नि० नगला हरचन्द तह० व जिला भरतपुर।

.....रैस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा २२३ राज० का० अ० विरुद्ध  
निर्णय व डिक्री न्याया० सहायक कलक्टर, भरतपुर दि०  
२९.०५.२०१८ प्र.सं. २२४/१२ उनवानी वृन्दावन सिंह  
बनाम रोहन सिंह।

अभिभाषकगण :-

१. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

२. रैस्पोजेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक- २१.०२.२०२३

१. यह अपील अंतर्गत धारा २२३ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर,  
भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक २९.०५.२०१८ के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में  
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पोजेण्ट संख्या ०१ रोहन ने एक दावा अन्तर्गत

राजस्थान न्यायालय प्राधिकारी  
भरतपुर (पंज.)

धारा 53, 88-89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी एवं शेष रैस्पो0, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी सहखातेदारी में दर्ज है। अतः हम पक्षकारों में आये दिन फसल को लेकर झगडा हो जाता है। इसलिये अब शामलात में काश्त करना संभव नहीं हो रहा है। अतः विवादित आराजी का पक्षकारों के मध्य, राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड बँटवारा किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काविल खारिजी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की है। जबकि विभाजन के दावे का यह आदेशात्मक नियम है कि प्रथम प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की जावेगी तत्पश्चात् ही विभाजन प्रस्ताव तलब कर अन्तिम डिक्री पारित हो सकेगी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही प्रक्रिया विरुद्ध अन्तिम डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट इसी बिन्दु पर ही स्वीकार योग्य रहती है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा नहीं बनाये जाकर हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में रैस्पो0 से साज कर नियम विरुद्ध बनाये गये हैं। जबकि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बनाया जाना आज्ञापक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन के नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गयी है। अपीलाधीन आदेश भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व शिविर में पारित किया है। जबकि पक्षकारों को प्रकरण राजस्व शिविर में रखने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलान्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित ना करते हुये, सीधे ही अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। जबकि नियमानुसार विभाजन के दावे में प्रथम प्राथमिक डिक्री, तत्पश्चात् विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाकर एवं उक्त विभाजन प्रस्तावों पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं आपत्ति का अवसर दिया जाकर अन्तिम डिक्री पारित किया जाना आदेशात्मक नियम है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये प्रक्रिया विरुद्ध, प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुये, सीधे ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी। जिससे स्पष्ट है कि



402  
राजस्थान अपील न्यायालय  
जयपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। किसी भी प्रकरण का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों की आपसी सहमति/राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः इस प्रकार के निर्णय का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य रहती है।

5. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक २९.०५.२०१८ को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, विधि अनुसार प्रकरण में पहले प्राथमिक डिक्री पारित करें। तदनुसार विधि अनुसार तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव करते हुये, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अन्तिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक ३१.०३.२०२३ को वास्ते सुनवाई उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
6. निर्णय आज दिनांक २१.०२.२०२३ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(परशुराम धानका)

आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर